



2026:AHC:29513

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट- सी संख्या- 5181 सन् 2026

राजधारी

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 11 अन्य

..... प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : धीरज सिंह, राघवेंद्र सिंह राठौर

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

### न्यायालय संख्या-6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।

2. इस याचिका में पारित किए जाने वाले आदेश को देखते हुए, निजी प्रत्यर्थी को नोटिस भेजकर और इस याचिका को न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई लाभ नहीं होगा। हालांकि, यदि निजी प्रत्यर्थी इस आदेश से असंतुष्ट हों, तो उसे आदेश में संशोधन/परिवर्तन की माग करने का अधिकार सुरक्षित रखा गया है।

3. याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी संख्या 3/ उप मंडल मजिस्ट्रेट, तहसील सलेमपुर, जिला देवरिया को मामला संख्या टी 202505200217218 सन् 2025 का शीघ्रता से निर्णय करने का निर्देश देने की प्रार्थना के साथ यह याचिका प्रस्तुत की है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 2006 की धारा 4 की उपधारा (3) के तहत दाखिल एक प्रार्थना पत्र लंबे समय से लंबित है। इस स्तर पर उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 की उपधारा (3) का उल्लेख करना उचित होगा, जिसमें यह अनिवार्य है कि ऐसा प्रार्थना पत्र दाखिल होने पर संबंधित प्राधिकारी को विधि के अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर उसका निपटारा करना होगा। उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 की उपधारा (3) इस प्रकार है:-

(3). इस धारा के अंतर्गत प्रत्येक कार्यवाही, जहां तक संभव हो, प्रार्थना पत्र की तिथि से तीन महीने के भीतर उप-मंडल अधिकारी द्वारा समाप्त कर दी जाएगी।

5. उक्त प्रावधान के बावजूद और प्रस्तुत दलीलों के प्रकाश में भी पक्षकारों की ओर से उपस्थित

2

विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों के प्रकाश में भी, प्रत्यर्थी संख्या 2/ उप मंडल मजिस्ट्रेट, तहसील सलेमपुर, जिला देवरिया को निर्देश जारी किया जाता है कि वे उक्त मामले को अपने हाथ में लें और विधि के अनुसार, यथासंभव शीघ्रता से और अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत होने की तिथि से दो महीने की अवधि के भीतर, मामले का निपटारा करें, लेकिन जब तक कोई कानूनी बाधा न हो, अनावश्यक स्थगन न दिया जाए।

6. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



7. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने प्रतिद्वंद्वी दलीलों के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।

10 फरवरी, 2026

(न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया)

सकलैन

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"